संख्या 3/1-1981–कार्मिक–1

प्रेषक,

श्री मोहन चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1––शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव ।
2––समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 1 दिसम्बर, 1981 ।

विषय––परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी आपरेशन कराने वाले सरकारी कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति ।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–1

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्या–3/1/1981–कार्मिक–1, दिनांक 16 अप्रैल, 1981 की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिसमें यह आदेश जारी किये गये थे कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी आपरेशन कराने वाले राज्याधीन कर्मचारियों (औद्योगिक एवं गैर-औद्योगिक), जिसमें अखिल भारतीय सेवा के सदस्य (राज्य सरकार के अधीन कार्यरत) भी सम्मिलित हैं, को कतिपय उल्लिखित शर्तों के अधीन विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाय ।

2––इस दिशा में और अधिक प्रेरणा दिये जाने तथा उपर्युक्त प्रस्तर–1 में संदर्भित वर्तमान आदेशों को और उदार बनाये जाने के प्रश्न पर प्रदेश शासन द्वारा विचार किया गया है और सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त संदर्भित आदेशों में निम्नलिखित आंशोधन किये जायं:––

1––जो सरकारी कर्मचारी पहली बार वैसेक्टोमी आपरेशन कराते हैं, उनके मामले में विशेष आकस्मिक अवकाश की गणना केवल काय दिवस (working days) के संदर्भ में की जाये । विशेष आकस्मिक अवकाश की अवधि की गणना करते समय इस अवधि के बीच पड़ने वाले रविवारों तथा राजपत्रित अवकाशों को ध्यान में नहीं रखना चाहिये ।

2––जो महिला सरकारी कर्मचारी पहला आपरेशन विफल हो जाने के कारण दूसरी बार ट्यूबक्टोमी आपरेशन कराती है, उनके मामले में निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर कि पहला आपरेशन विफल होने के कारण दूसरा आपरेशन किया गया था, अधिक से अधिक 14 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश पुनः स्वीकृत किया जाय ।

3--जिन महिला सरकारी कर्मचारियों ने अन्तरा-गर्भाशय गर्भ निरोधक (आई0यू0डी0) युक्ति पुनः अपनाई है, उन्हें अन्तरा-गर्भाशय गर्भ निरोधक युक्ति के पुनः स्थापन के दिन विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाय।

4--वैसेक्टोमी/ट्यूबकटोमी आपरेशन के बाद उत्पन्न समस्याओं के मामले में जहां अस्पताल में रहना आवश्यक नहीं है, वहां विशेष आकस्मिक अवकाश क्रमशः 7/14 कार्य दिवसों से अधिक नहीं दी जानी चाहिये, क्योंकि ऐसे मामलों में विशेष आकस्मिक अवकाश की अवधि असीमित नहीं हो सकती है।

5--परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन नसबन्दी/नस को पुनः जुड़वाने से सम्बन्धित विशेष आकस्मिक अवकाश को नियमित अवकाश अथवा आकस्मिक अवकाश से पहले तथा बाद में जोड़ दिया जाय। परन्तु विशेष आकस्मिक अवकाश को नियमित अथवा आकस्मिक दोनों ही प्रकार के अवकाशों से पहले जोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। विशेष आकस्मिक अवकाश को या तो नियमित अवकाश से पहले अथवा आकस्मिक अवकाश से पहले जोड़ा जाना चाहिये न कि दोनों प्रकार के अवकाशों के साथ। इसी प्रकार विशेष आकस्मिक अवकाश को या तो नियमित अवकाश अथवा आकस्मिक अवकाश के बाद जोड़ा जाना चाहिये न कि दोनों प्रकार के अवकाशों के साथ। बीच में पड़ने वाले अवकाशों और/अथवा रविवारों को नियमित अवकाशों से पहले/बाद में, जैसी भी स्थिति हो जोड़ दिया जाना चाहिये।

3--ये संशोधित अनुदेश न केवल उन मामलों में लागू होंगे जहां आपरेशन उक्त अनुदेशों के जारी होने के बाद किया गया हो बल्कि उन मामलों पर भी लागू होंगे जो उक्त अनुदेशों के जारी किये जाने की तिथि को नियमन के लिये विचार किया जा रहा है।

भवदीय,
मोहन चन्द्र जोशी,
सचिव।

संख्या-3/1-1981 (1)-कार्मिक-1, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1--सचिवालय के समस्त अनुभाग।
2--राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश के सचिव।
3--सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4--निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5--मंत्रियों के निजी सचिवों को मंत्री महोदय के सूचनार्थ।

आज्ञा से,
मोहन चन्द्र जोशी,
सचिव।

पी0 एस0 यू0 पी0--ए0 पी0 44 सा0 नियुक्ति--21-12-81--(3052)--1982--9,500 (हि0)।